UPJS010066622023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी।

उपस्थितः- **जयतेन्द्र कुमार** (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जेओ कोड नं०- यूपी० ५९८३

सीएनआर नं०- यूपीजेएस- ०१- ००६६६२- २०२३

सत्र वाद सं०- १३५५ सन २०२३

सरकार **बनाम** **अखिलेश कुमार गुप्ता**

मु०अ०सं०- ५२१ सन २०१०

धारा- ३०७ भा०दं०सं०

थाना- नवाबाद, जिला- झाँसी।

आदेश

दिनांक- ०९. ०१. २०२४

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त **अखिलेश कुमार गुप्ता** जेरे जमानत मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की जा चुकी है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपो का वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि वह उपरोक्त अभियुक्त के दोष को किस किस साक्ष्य से प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करते है।

मैनें इस मामले के अभिलेखों और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त को सुना।

उपर्युक्त विचार तथा सुनवाई के उपरान्त मैं इस मत पर हूँ कि ऐसी उपधारणा करने का प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि अभियुक्त अखिलेश कुमार गुप्ता ने धारा - ३०७ भा०दं०सं० का अपराध कारित किया है और उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उसका परीक्षण करने का पर्याप्त आधार है।

अतएव एतदद्वारा मैं यह निर्देश देता हूँ कि अभियुक्त **अखिलेश कुमार गुप्ता** को धारा- ३०७ भा०दं०सं० के आरोप से आरोपित किया जाये। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोप को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की। फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही अग्रसारित की गयी।तथ्य के अभियोजन साक्षी जरिये सम्मन तलब हो। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक- २९. ०१. २०२४ को पेश हो।

दिनांक- ०९. ०१. २०२४

(जयतेन्द्र कुमार)

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १,

झाँसी।

Digitally signed by JAITENDRA KUMAR
Date: 2024.01.09 16:11:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

UPJS010066622023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी।

उपस्थितः- **जयतेन्द्र कुमार** (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जेओ कोड नं०- यूपी० ५९८३

सीएनआर नं०- यूपीजेएस- ०१- ००६६६२- २०२३

सत्र वाद सं०- १३५५ सन २०२३

सरकार **बनाम** **अखिलेश कुमार गुप्ता**

मु०अ०सं०- ५२१ सन २०१०

धारा- ३०७ भा०दं०सं०

थाना- नवाबाद, जिला- झाँसी।

आरोप

मैं **जयतेन्द्र कुमार**, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी आप अभियुक्त **अखिलेश कुमार गुप्ता** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँः-

यह कि घटना दिनांक - ०२. ०८. २०१० समय १०. १५ ए०एम० बहद स्थान- चन्दा होटल के पीछे सिविल लाइन ओपी इलाईट, थाना- नवाबाद, जिला- झाँसी के क्षेत्राधिकार में आपने वादी मुकदमा अनुपम सिंह पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला किया। यदि आपके उक्त कृत्य से वादी मुकदमा की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते। इस तरह आपने वादी की हत्या कारित करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य भा०दं०सं० की धारा - **३०७** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव मैं एतदद्वारा आपको निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त आरोपों के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांक- ०९. ०१. २०२४

(जयतेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १,
झाँसी।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया तो उसने आरोपों से इंकार किया व विचारण की मांग की।

दिनांक- ०९. ०१. २०२४

(जयतेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १,
झाँसी।